फर्द अहकाम

बनाम

नाम न्यायालय S.D.O.ब्लम, बरजू देवी बनाम कोमली देवी

केस संख्या JPR प्रा.पत्र 251(A)

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रुप से
	2/2/18	पत्रावली वास्ते आदेशार्थ प्रस्तुत हुई। प्रार्थना पत्र 251(A) स्वीकार किया जाता है विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर शामिल मिसल किया जायेगा। पत्रावली फैसल-शुमार नम्बर से कम हो। निर्णय सेर ईजलास सुनाया गया। उप खण्ड अधिकारी जयपुर (प्रथम), जयपुर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जयपुर प्रथम जयपुर

प्रार्थना-पत्र संख्या :– 82/2015

बरफूदेवी धर्मपत्नी श्री महादेव, उम्र 42 वर्ष जाति जाट, निवासी ग्राम समरपुरा चौमू जिला– जयपुर।

प्रार्थीया

बनाम

1. कोयलीदेवी पत्नि मंगलचन्द जाति जाट, निवासी ग्राम समरपुरा, तहसील चौमूँ, जिला जयपुर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील चौमू, जिला जयपुर।

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय दिनांक 02.02.2018

प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का सार संक्षेप में इस प्रकार है कि ग्राम समरपुरा, तहसील चौमू जिला जयपुर में स्थित आराजी खसरा न0 593 रकबा 0.57 हैक्टेयर ख0 न0 594 रकबा 0.05 हैक्टेयर, खसरा न0 595 रकबा 0.16 हैक्टेयर खसरा न0 523 रकबा 0.11 हैक्टेयर प्रार्थीया की स्वामित्व की भूमि है, जो काश्तकर अपना जीवन यापन करती हैं तथा प्रार्थीया खातेदार काश्तकार है। आराजी खसरा न0 174 रकबा 0.11 हैक्टेयर गै0मु0 रास्ता है। जिसमें सी0सी0 रोड बना हुआ है। जिस पर आमद रफत चालू है तथा उक्त खसरा न0 174 से लगती भूमि खसरा न0 523 प्रार्थीया की खातेदारी काश्त की भूमि 593,594,595 के मध्य में खसरा न0 522 रकबा 0.43 हैक्टेयर स्थित है, जो अप्रार्थीया सं01 की खातेदारी की भूमि है। खसरा न0 593,594,595 में आने जाने का रास्ता नही है तथा खेती करना दुर्भर हो रहा है तथा अन्य कोई रास्ता का विकल्प नही है तथा खसरा न0 593,594,595 काश्त के काम आ रही है। खसरा न0 522 रकबा में करीबन् 20 मीटर की लम्बाई व पांच मीटर की चौडाई जो संलग्न नक्शें में लाल स्याही से प्रदर्शित किया गया है कि आवश्यकता है। खसरा न0 522 में रास्ता कायम नही किया गया तो प्रार्थीया को काश्त करना असंभव हो जायेगा, जिससे परिवार का पालन पोषण ही दुर्भर हो जावेगा। दिनांक 18.06.2014 को अप्रार्थीगण से बातचीत की, आपकी जमीन से रास्ता दे दो, जिसके बदले में वाजिब कीमत अदा कर दूंगी। जिस पर स्पष्ट शब्दों में मना करदिया कि हमारी

उप खण्ड अधिकारी
जयपुर (प्रथम), जयपुर

जमीन में से कोई रास्ता नही देगें, जिससे न्यायालय श्रीमान् के प्रार्थना पत्र पेश करना आवश्यक हुआ है।

प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र के क्रम में तहसीलदार चौमू द्वारा पंत्राकः भू0अ0/14/3726 दिनांक 28.07.2014 द्वारा प्रेषित रिपोर्ट अनुसार प्रार्थिया के ग्राम समरपुरा की जमाबन्दी सम्वत 2068–71 की खाता स0 7 के खसरा न0 593 रकबा 0.57 है0 की खातेदारी प्रार्थिया बरफूदेवी पत्नी महादेव जाति जाट नि0 95 जेली वाली समरपुरा के नाम है व ग्राम समरपुरा की जमाबन्दी खाता सं0 130 ख0न0 523, 594,595 कुल किता 3 कुल रकबा 0.32 हैक्टर की खातेदारी भी प्राथिंया के नाम दर्ज है। जिसकी जमाबन्दी व नक्शा संलग्न है। प्रार्थीया द्वारा ग्राम समरपुरा के खसरा न0 522 रकबा 0.43 हैक्टर में से रास्ता चाहती है। जिसकी खातेदारी कोयली देवी पत्नी मंगलचन्द जाति जाट सा0 देह राहिन सिडीकेट बैक शाखा फतेहपुरा के नाम दर्ज है। उक्त आ0ख0न0 522 में काश्त (फसल) है। प्रार्थिया द्वारा ख0न0 522 में से रास्ता चाहा गया है। खसरा न 522 में से 5 मीटर चौडा व 20 मीटर लम्बाई में यानि 100 वर्गमीटर (0.01 हैक्टर) भूमि रास्ते में जाती है। पटवारी हल्का द्वारा बनाये गये नजरी नक्शा रिपोर्ट में बनाया गया है। रास्ता नही है। रास्ते में जाने वाली भूमि की डी0एल0सी0 दर 365278 प्रति बीघा है। प्रार्थीया द्वारा चाहा गया रास्ता वाजिब है क्योंकि प्रार्थिया के खातेदारी ख0न0 523 व 593,594,595 के बीच में अप्रार्थिया का ख0न0 522 आ जाता है। जिसमें प्रार्थिया को आराजी खं0न0 522 में से 0.01 हैक्टर का रास्ता दिया जाना उचित है।

अप्रार्थी स0 1 की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का प्रस्तुत जवाब अनुसार–प्रार्थीया द्वारा प्रार्थना पत्र में मद 3 में वर्णित तथ्य असत्य बनावटी दर्ज किये है उसमें इन्कारी है। खसरा न0 593,594,595 में आने जाने के लिये खं0 न0 593 के पश्चिमी दिशा में गैर मु0ढाणी स्थित हैं और गैर मु0 ढाणी से रास्ता जोधाराम जाट व साधूराम जाट के आवासीय मकान तक चालू है तथा उक्त आवासीय मकान के दक्षिण दिशा में स्थित कदीमी रास्ता से प्रार्थी अपने खसरा न0 593 में आता है जाता है रहता है तथा इसी रास्ते को प्रार्थी कदीमी उपयोग उपभोग लेता चला आ रहा है। खसरा नं. 522 में न तो कभी रास्ता रहा है ना ही उक्त खसरा नम्बर से कानूनन कोई रास्ता प्रदत्त किया जा सकता है। प्रार्थी ने घरेलू रंजीशवश यह बोगस प्रार्थना-पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष मिन उत्तरदायी को हैरान व परेशान करनें के लिये पेश किया है। प्रार्थीया का प्रार्थना-पत्र खारिज फरमाते हुये उसको निर्देश देवे कि

उप खण्ड अधिकारी
जयपुर (प्रथम), जयपुर

उसकी पश्चिमी दिशा की आराजी खसरा नम्बर 593 के पश्चिम दिशा में कदीमी उपलब्ध रास्ते बाबत उचित कानूनी कार्यवाही करते हुये रास्ता प्राप्त करनें बाबत उचित कानूनी कार्यवाही करनें के निर्देश प्रदत्त किये जावे।

माननीय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चौमू से श्रीमान जिला कलक्टर-जयपुर के द्वारा इस न्यायालय में मुन्तकिल किये जानें पर (पत्रांक: 2015/1101 दिनांक 18.06.2015) प्राप्त हुई। दिनांक 15.03.2016 को अप्रार्थी कोयली देवी के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र 151 C.P.C. पर इस न्यायालय द्वारा खारिज/निर्णय पारित किया गया। प्रार्थना-पत्र 151 C.P.C. पर निगरानी प्रस्तुत होनें पर दिनांक 21.11.2016 को मा. राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा प्रार्थना-पत्र निर्णित किया गया, जिसमें इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश 15.03.2016 को यथावत रखा गया।

मा. न्यायालय द्वारा प्रार्थना-पत्र 251A राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पर उभय पक्ष अधिवक्ता की सुनी गयी बहस तथा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र, उसके जवाब के अवलोकन बाद इस निर्णय पर पहुंचे है कि प्रार्थीया द्वारा प्रार्थना-पत्र स्वीकार किये जाने हेतु उपयुक्त होनें पर स्वीकार किया जाता है, प्रार्थीया को खं. नं. 522 में से 5 मीटर चौडा व 20 मीटर लम्बाई में यानि 100 वर्गमीटर (0.01 हैक्टर) भूमि रास्ते में जाती है। तहसीलदार द्वारा प्रेषित रिपोर्ट में नक्शा-नजरी में रास्ता नहीं होना बताया गया है। प्रार्थीया द्वारा चाहा गया आराजी खं.नं. 522 में से 0.01 हैक्टर का रास्ता दिया जाना प्रस्तावित है। मुताबिक तहसीलदार चौंमू द्वारा रिपोर्ट में दर्शाए नक्शें अनुसार 05 मीटर चौडा व 20 मीटर लम्बा रास्ता सुलभ करानें हेतु तहसीलदार चौमू को तहरीर जारी हो। कि वह उक्त माप के वर्तमान डी.एल.सी. दर के दौगुनें आधारित गणना करते हुये खसरा नम्बर 522 के खातेदार के नामे मुताबिक मा. राजस्व मण्डल के दिनांक 21.11.2016 के निर्णयानुसार विवादित आराजी के घोषणा के वाद लम्बित होनें एवं मुआवजे की राशि घोषणा के दावे के निस्तांरण की अवधि तक उक्त राशि को इस न्यायालय में सुरक्षित रखनें की भी कार्यवाही करें जब तक खातेदारी भूमि पर जानें हेतु रास्ते के अधिकार से वंचित न करें। तहसीलदार चौमू को उक्त निर्णय की पालना हेतु प्रमाणित प्रति प्रेषित करें।

आज दिंनाक 02.02.2018 को निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरेईजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर प्रथम, जयपुर